कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–5/1103/2021/10–11/1663 भोपाल, दिनांक 11/5/22

प्रति,

उप मुख्य अभियंता (निर्माण),
दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला, महाराष्ट्र।

विषयः– खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में खण्डवा–अमलाखुर्द मीटर गेज को ब्राडगेज लाईन में परिवर्तन हेतु खण्डवा वन मण्डल की 6.18 हेक्टेयर वनभूमि एवं बुरहानपुर वनमण्डल की 15.31 हेक्टेयर वनभूमि कुल 21.49 हेक्टेयर वनभूमि उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला महाराष्ट्र को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPC 066/2021-BHO/ दिनांक 09.05.2022

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। जिसके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जावे–

शर्त क्रमांक– A(1) के पालन में प्रकरण में तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि रू0 1,51,49,812/– ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावें एवं 10% पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रू0 15,14,981/– एम.पी. ऑनलाईन ट्रेजरी अथवा डी.डी. के माध्यम से वनमण्डल कार्यालय उत्तर सागर में जमा कराई जावे।

शर्त क्रमांक– A(2) एवं (3) के पालन में प्रभावित 21.49 हेक्टेयर वनभूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रू0 2,64,02,399/– कैम्पा मद में ऑनलाईन जमा करावें।

शर्त क्रमांक– A(5) के पालन में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर खण्डवा एवं बुरहानपुर का प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें।

शर्त क्रमांक– A(11) के पालन में प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड करावें।

शर्त क्रमांक– B(3) के पालन में अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि का वचन पत्र इस कार्यालय को भेजें।

भारत सरकार द्वारा जारी शेष समस्त शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को 02 प्रति में प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

10/5/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

–2–

E:\Rakesh\2022\First stage letter.docx